नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2020

सा. का. नि. ...........(अ) - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 क की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944 की चौथी अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं पर उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उन पर लगाने वाले सम्पूर्ण शुल्क से उस स्थिति में छूट देती है जो विदेश व्यापार की भूमिका के पैरा 4.95 और 4.96 के साथ पैठित स्कीम्फार रिबेट ऑफ टैंट एंड टेक्स्स एंड लेटिज ऑफ एक्स्पोर्ट्स ऑफ गारमेंट्स एंड बेड-अप्स (एतशिमन पश्चात जिसे आरोएससीटीएल स्कीम से संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत कृषियां गृहीतकारी दलाल किसी इस्तीफ भ्रेडिट स्क्रिप्ट (एतशिमन पश्चात उक्त स्क्रिप्ट से संदर्भित किया गया) के एवज में क्लीयर किया गया हो।

बशर्त कि उक्त स्क्रिप्ट, जिसके एवज में उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण शुल्क से छूट प्रदान की गयी हो, में वह क्रेडिट भी आती है जो कि हेंड बूक ऑफ प्रोसीजर के पैरा 4.95 और 4.96 के अनुसार अतिरिक्त तर्क प्रोत्साहन के अंतर्गत दिया गया हो।

2. यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी, यथा:-

(1) कि अधिसूचना संख्या 13/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट शर्त (1) से (3) पूरी होती हों और उक्त स्क्रिप्ट इसमें विनिर्दिष्ट पंजीकरण पतन के सीमाशुल्क प्राधिकारी (एतशिमन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी से संदर्भित किया गया है) के यहाँ पंजीकृत हों;

(2) कि ऐसी स्क्रिप्ट का धारक, जो कि वह व्यक्ति हो सकता है जिसे वह स्क्रिप्ट मूल रूप से जारी की गयी हो या वह व्यक्ति जिसे यह अंतरित की गयी हो, उक्त स्क्रिप्ट को उक्त सीमाशुल्क
प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करता हो और साथ ही ऐसा पत्र या प्रोफार्मा इन्वाव्डस भी प्रस्तुत करता हो, जिसे आपूर्तिकर्ता या विनिमयात्मक दर्शाए दिया गया हो और उसमें अधिकार क्षेत्र वाले केन्द्रीय उपयोग शुल्क अधिकारी (एतिस्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिकारी से संदर्शित किया गया है) का व्यापा दिया गया हो और उस वस्तु का विवाह और मूल्य भी दर्शाए गया हो जिसे कि किल्लर किया जाना है और यदि यह छूट न दी जाती तो उसपर लागू शुल्क का भी उल्लेख किया गया हो;

(3) कि उक्त सीमाशुल्क अधिकारी, अधिसूचना सं. 13/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के अंतर्गत आयात के एवज में पहले ही की गयी डेविट और इस छूट पर विचार करते हुए, लागू होने वाले उस शुल्क को डेविट करेगा, यदि यह छूट न दी गयी हो तो या उक्त स्क्रिप को वापस किया गया हो तो और यह इससे संबंधित आवश्यक व्योरे का भी उल्लेख करेगा और उक्त अधिकारी को इन कार्यवाहियों के बारे में लिखित सलाह भी देगा;

(4) कि निकासी के समय स्क्रिप का धारक उक्त स्क्रिप को जिसको कि उक्त सीमाशुल्क अधिकारी दर्शाए देविट किया गया हो, उक्त अधिकारी को सौंपेगा और साथ-ही-साथ एक ऐसी अंडरटेकिंग भी देगा जो कि उक्त अधिकारी को संबोधित हो और इस आशय का हो कि यदि उक्त स्क्रिप में कम राशि डेविट की गयी हो तो वह माफ किये जाने जितनी राशि का भुगतान करेगा जितनी राशि कम की गयी हो और साथ में ही वह उसपर लागू ब्योर भुगतान करेगा;

(5) कि उक्त लिखित सलाह और अंडरटेकिंग के आधार पर, उक्त अधिकारी निकासी के व्योरे को, उक्त स्क्रिप को वापस किये जाने पर, उसपर लगाये जाने वाले शुल्क के व्योरे, यदि यह छूट न दी गई हो तो, जिसे उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी ने डेविट किया हो, को अनुमोदित करता हो और ऐसे निकासी का रिकॉर्ड अपने पास रखता हो;

(6) कि इस अधिसूचना के अंतर्गत निकासी की दृष्टि से विनिमयात्मक उक्त स्क्रिप की प्रति, जो कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी के द्वारा डेविट की गई हो और उक्त अधिकारी के द्वारा प्रश्नांकित हो और स्क्रिप धारक के द्वारा विविध सत्यापित हो; और

(7) कि उक्त स्क्रिप धारक, जिसके माल की निकासी की गई थी, उक्त स्क्रिप में डेविट की गयी राशि के एवज में केन्द्रीय उपयोग शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अंतर्गत लगाये जाने वाले उपयोग शुल्क की प्रतिअदारी या सेवनेट क्रेडिट को प्राप्त करने का हकदार होगा और उसको निकासी के समय वैध माना जाएगा।

3. उपर्युक्त पैराग्राफ 2 में किसी भी बात के बावजूद 10 अप्रैल, 2019 को उसके बाद जारी की गई उक्त स्क्रिप के बारे में, जिसे पंजीकरण पतन पर बिना भौतिक प्रति के इलेक्ट्रॉनिक रूप से
जारी किया गया हो, जो कि सीमाशुल्क स्वच्छन्द प्रणाली के तहत जारी किया गया हो, दी जाने वाली छूट निर्मलक्षित शर्तों के अधीन होगी, यथा:–

(1) कि अधिसूचना संख्या 13/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट शर्त (1) से (3) पूरी होती हों और उक्त स्क्रिप्ट इसमें विनिर्दिष्ट पंजीकरण पत्र के सीमाशुल्क प्राधिकारी (एतशिम पश्चात् जिसे उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी से संदर्भित किया गया है) के यहाँ पंजीकृत हो; 

(2) कि ऐसी स्क्रिप्ट का धारक, जो कि वह व्यक्ति हो सकता है जिसके वह स्क्रिप्ट मूल रूप से जारी की गयी हो या वह व्यक्ति जिसे यह अंतिम की गयी हो, उक्त स्क्रिप्ट को उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करता हो और साथ ही ऐसा पत्र या प्रोफार्मार्स इन्वर्डेस भी प्रस्तुत करता हो, जिसे आपूर्तिकर्ता या विनिर्माता दत्तार दिया गया हो और उसमें अधिकार क्षेत्र वाले केन्द्रीय उपाधि शुल्क अधिकारी (एतशिम पश्चात् जिसे उक्त अधिकारी से संदर्भित किया गया है) का व्यापा दिया गया हो और उस वस्तु का विवरण और मूल्य भी दर्शाया गया हो जिसके कि क्लियर दिया जाना है और यदि यह छूट न दी जाती तो उसपर लागू शुल्क का भी उल्लेख किया गया हो; 

(3) कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 13/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020 के अंतर्गत आयात के एवज में पहले ही की गयी डेविट और इस छूट पर विचार करते हुए, यदि यह छूट न दी जायी हो तो सीमाशुल्क स्वच्छन्द प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस शुल्क को डेविट करेगा और उक्त अधिकारी को इन कार्यवाहियों के बारे में लिखित सलाह देगा; 

(4) क्लियरेस के समय उक्त स्क्रिप्ट धारक उक्त अधिकारी को इस बात की अंदरटेंकिंग सींपेनेगा कि यदि उक्त स्क्रिप्ट में कम राशि डेविट की गई हो तो वह मांग किये जाने पर उक्त कम राशि के बराबर, की राशि तथा उसपर लगाने वाले व्याज का भी भुगतान करेगा; 

(5) कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी से प्राप्त लिखित सलाह और उक्त अंदरटेंकिंग के आधार पर उक्त अधिकारी क्लियरेस के ब्यौरे और उसकी वैधता, जो कि उक्त लिखित सलाह में दी गयी हो, यदि छूट न दी गई हो तो उस पर लागू शुल्क के ब्यौरे, जो कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी के दत्तार डेविट की गई हो, को पृष्ठकिंत करेगा और निकासी के रिकॉर्ड को अपने पास रखेगा। 

(6) उक्त अधिकारी स्क्रिप्ट धारक और विनिर्माता को उक्त पृष्ठकिंत लिखित सलाह की एक विहितवत सत्यापित प्रति प्रदान करेगा, जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत निकासी की दृष्टि से अपने पास रखेंगे।
कि उक्त स्क्रिप्ट धारक, जिसके माल को खिलाया गया था, उक्त स्क्रिप्ट में डेविट की
गयी राशि के एज में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची
के अंतर्गत लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क की प्रतिअदायगी या सेन्ट्रल क्रेडिट को प्राप्त करने का
हकदाय होगा और उसको निकासी के समय वैध माना जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना में-

(I) “विदेश व्यापार नीति” से अभिधारक विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है जिसे भारत
सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. 01/2015-2020, 01 अप्रैल, 2015
के द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित है।

(III) “परिधान” और “मेड-अप्स” से वही अभिधारक होगा जो इसके लिए वस्त्र मंत्रालय की
अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी (बॉल्डूम II), दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसके द्वारा
स्क्रीम फॉर रीबैट ऑफ रेड रेड सेंट्रल टैक्सेस एन्ड लेबल ऑन एक्सपोट्ट ऑफ गारंटीज़
एन्ड मेड-अप्स को अधिमुखित किया गया था, जिसे दिया गया हो।

(III) क्षेत्रीय प्राधिकारी से अभिधारक विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992
(1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त किसी विदेश व्यापार महानिदेशक से है या
उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से है जो कि प्राधिकार पत्र जारी कर सकता है जिसमें
इस अधिनियम के अंतर्गत शुल्क जमा स्क्रिप्ट भी आती है।

[पा.सं. 605/04/2020-डीबीके]

(गोपाल कृष्ण झा)
निदेशक (डॉंबैक)